

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

कमांक एफ2(774)सू.प्रौ./संस्था/10/ 256

जयपुर, दिनांक : 7/12/2019

आज्ञा

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के प्रोग्रामर एवं सहायक प्रोग्रामर्स के पद पर में कार्यभार संभालने की तिथि से 6 माह अथवा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये निम्नलिखित सहायक प्रोग्रामर्स को पूर्णतः अविलम्बनिय/अस्थाई आधार पर अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये रिक्त रखे गये प्रोग्रामर के 4 पदों एवं सहायक प्रोग्रामर्स के 17 पदों के विरुद्ध एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

सहायक प्रोग्रामर से प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नत
(वेतन पी.बी.-2 (9300-34800) (ग्रेड पे-4200))

1. श्रीमती किरण मल्होत्रा
2. श्री संजीव सिन्हा
3. श्री राजीव भार्गव
4. श्री दिनेश चंद विजय

सूचना सहायक से सहायक प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नत
(वेतन पी.बी.-2 (9300-34800) (ग्रेड पे-3200))

1. श्री अकलेश कुमार
2. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा
3. श्री तरुण पालीवाल
4. श्री राधा मोहन कुमावत
5. श्री वेद प्रकाश
6. श्रीमती संध्या शर्मा
7. श्री योगेश कुमार सिंघल
8. श्री चन्द्र शेखर शर्मा
9. श्रीमती उमा यदुवंशी
10. श्री कमलेश सिंघल
11. श्री भाग चंद कुमावत
12. श्री नजर मोहम्मद खान
13. श्री अकील अहमद
14. श्री अरुण कुमार
15. श्री महेश कुमार पारीक
16. श्रीमती दीप लक्ष्मी माथुर
17. श्री राकेश कुमार नौडियाल

उक्त पदोन्नतियां निम्न शर्तों पर की जा रही है:-

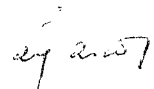
1. उक्त पदोन्नति पूर्णतया अस्थाई/अविलम्बनीय आधार पर अग्रिम आदेश होने तक, बिना किसी नियमित पदोन्नति का कोई आधार प्रदत्त किये, दी जा रही है।
2. जिस पद पर पदोन्नति दी जा रही है उस पद पर कभी भी पदावनति की जा सकेगी।
3. आवश्यक अस्थाई पदोन्नति से किसी भी प्रकार का वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।
4. पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता एवं वरिष्ठता संबंधी लाभ भी देय नहीं होगा और वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
5. आवश्यक अस्थाई पदोन्नति नियमित पदोन्नति की मांग का आधार नहीं होगी और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा।
6. आवश्यक पदोन्नति केवल नियमित पदोन्नतियों से पदोन्नत राजसेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी, इसके उपरान्त इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।
7. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशियों के पदों के विरुद्ध पदोन्नत कर्मचारी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर अपने पूर्ववत पद पर नियमानुसार पदावनत कर दिये जावेंगे।

लगातार.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थी नीचे की श्रेणी (जिसमें पदोन्नति का होना विदित है) उनकी सेवा संवर्ग में उपलब्ध वरिष्ठतम व्यक्ति है, जो कि नियमित पदोन्नति के लिये राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के अन्तर्गत अधिकृत अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों को गत पांच वर्षों के दौरान कोई दण्ड अधिनिर्णित नहीं हुआ है और ज्येष्ठतम पात्र कर्मचारी है और इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच विचारधीन नहीं है।

उक्त पदोन्नतियां कार्मिक (क-2) विभाग की आई.डी. संख्या 1063/DOP/A2/10 दिनांक 30-7-2010 द्वारा प्राप्त सहमति से की गई है।

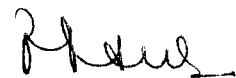
उक्त के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।



शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष
6. संबंधित कर्मचारी ।
7. निजी / रक्षित पत्रावली।



प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)